**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

APPEAL NO.1 OF 2025

IN THE MATTER OF:

M/S. SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES ... APPLICANT

VERSUS

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Copy of the original file in compliance of order dated 02.04.2025.	1-30

NEW DELHI
DATED: 29.04.2025/30.04.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H55884/C-2/वायु-1464/कानपुर नगर दिनॉक Date 9.12.2020

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज,
68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

यह कि उद्योग **मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा Micro Rubber Sheet and Sleepers - 13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 05.12.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या दिनांक 02.12.2020 की आख्यानुसार संदर्भित उद्योग द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers - 13.125 Kg/Day के उत्पादन का कार्य किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई में 03 नग बेबी ब्वायलर स्थापित पाया गया तथा ईधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग किया जाना पाया गया। इकाई द्वारा लेदर कटिंग तथा रबर कटिंग आदि के जलाये जाने से जनित दुर्गन्ध युक्त गैसीय उत्सर्जन का समुचित निस्तारण न होने के कारण दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्यमी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न उद्योग **मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त स्पष्ट करें कि क्यों न **मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** पर रू0 7813.00/– (रू0 सात हजार आठ सौ तेरह मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध रू0 7813.00/– (रू0 सात हजार आठ सौ तेरह मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ–साथ कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

1

......2.......

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
Stone closure order

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

उद्योग मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:–

उक्त सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनाँक 16.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री एजाज अहमद, प्रोपराइटर उपस्थित थे, निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उद्योग मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थापित/संचालित है।
2. उद्योग को MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS - 13.125 Kg/Day के उत्पादन कार्य हेतु वर्ष 2023 तक सहमति प्राप्त है।
3. उद्योग का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2020 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई में स्थापित 02 नग बेबी ब्वायलर में ईधन में अनुमन्य ईधन के अतिरिक्त अन्य ईधन लेदर कटिंग का प्रयोग किया जाता पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
4. उक्त कारण बताओं नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2020 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उक्त लेदर कटिंग को पूर्व में लेबर द्वारा बेबी ब्वायलर के निकट डाल दिया गया था, जिसको तत्काल हटा दिया गया है।
5. उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 16.12.2020 को किया गया।
6. निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।
7. उद्योग में कच्चे माल के रूप रबर सोल वेस्ट, चाइना क्ले, जिंक, रबर बुरादा, रबर रिकलेम व अन्य केमिकल का प्रयोग कर लगभग रबर शीट 200 शीट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
8. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा ब्वायलर में फीडिंग एवं कूलिंग हेतु किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह–1.0 के0एल0डी0 का निस्तारण सैप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। कूलिंग में प्रयुक्त जल को रिसाइकिल किया जाता है।
9. उद्योग में 02 नग बेबी ब्वायलर स्थापित है। बेबी ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊचाई भूतल से लगभग 40 फीट ऊंची स्थापित है। ब्वायलर में ईधन के रूप में लगभग 400 किग्रा0/दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है।
10. उद्योग में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 01 नग डी0जी0सेट क्षमता 62.5 के0वी0ए0 का स्थापित है। डी0जी0सेट में ईधन में रूप में एच0एस0डी0 का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है।
11. निरीक्षण के समय उद्योग में अनुमन्य ईधन कोयला का प्रयोग बेबी ब्वायलर में किया जाता पाया गया तथा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित ईधन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं पाया गया।
12. उपरोक्त के दृष्टिगत उद्योग के पूर्व निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 (निरीक्षण दिनांक 16.12.2020 से पूर्व तिथि तक) तक का उल्लघंन मानते हुये कुल 14 दिवस की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा निर्देश के क्रम में उद्योग के विरूद्ध **रू0 7813/– प्रतिदिन के अनुसार कुल 14 दिवस हेतु रू0 7813×14=1,09,382/– (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(एस0के0 अवस्थी)
अनुश्रवण सहायक

Vivek 18/12/2020
(विवेक कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

18/12/2020

111

SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES

Manufacturers & Exporter of : All Kind of Micro Rubber Sheet & Sleepers

68, 69-A, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur - 208 010
Tel.: +91-512-2464467 - Fax : +91-512-2464468
e-mail : sunshinerubber23@rediffmail.com

दिनांक : 16/12/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
टी0सी0 12–वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषय : उद्योग को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में।

संदर्भ : पत्र-सं0. 55884 / C-2 / वायु–1464 / कानपुर नगर दिनांकित 08.12.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र प्रार्थी को दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त हुआ जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 05.12.2020 के साथ संलग्न आख्या दिनांक 02.12.2020 के अनुसार निरीक्षण के समय इकाई द्वारा लेदर कटिंग तथा रबर कटिंग आदि के जलाये जाने से जनित दुर्गन्ध युक्त गैसीय उत्सर्जन का समुचित निस्तारण न होने के कारण दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होने की सम्भावना होना दर्शाया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में आप श्रीमान जी को अवगत कराना है कि मेरे उद्योग में बेबी ब्वायलर के ईंधन के रूप में मात्र लकड़ी व कोयले का ही प्रयोग किया जाता है जिसमें लकड़ी को मात्र आग सुलगाने हेतु एवं कोयले को प्रमुख ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिसर में अपर एवं रबर का कार्य होने के कारण लेदर एवं रबर की कटिंग कूड़े के रूप में फैलती रहती है जिसको समय समय सिमटवाया जाता रहता है परन्तु लेदर एवं रबर कटिंग का प्रयोग ब्वायलर में जलाने हेतु कदापि नहीं किया जाता है। आपको आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में ब्वायलर के परिक्षेत्र में लेदर एवं रबर कटिंग को इकट्ठा नहीं होने दिया जायेगा तथा पूर्ण साफ–सफाई रखी जायेगी।

अतः आप श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे उद्योग मेसर्स सनशाईन रबर इण्डस्ट्रीज, 68–ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर के नाम जारी किये गये कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की कृपा करें। उद्योग आपको पूर्ण आश्वासन देता है कि आप द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों का अनुपालन उद्योग द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है तथा भविष्य में किया जाता रहेगा।

आपकी महान दया होगी।

सधन्यवाद।

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर, कानपुर
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर

भवदीय

मेसर्स सनशाईन रबर इण्डस्ट्रीज,
68–ए, 150 फिट रोड,
जाजमऊ, कानपुर

3

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ही संचालन किये जाने के सम्बन्ध में आख्या:–

उक्त सन्दर्भित उद्योग का औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में श्री एजाज अहमद, प्रोपराइटर उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक संख्या 60217/UPPCB/KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 24.09.2019 द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers-13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि हेतु सहमति वायु निर्गत थी।
2. निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन कार्य होता पाया गया तथा उत्पादन कार्य हेतु कटिंग मशीन, प्रेस मशीन, इत्यादि मशीनें स्थापित हैं। बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया, जिससे आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अन्यन्त खराब पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स क्रमशः हैं:–

4. कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) आदेश प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है और न ही उद्योग द्वारा अद्यतन तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है, राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है, जोकि एक दण्डनीय अपराध है।
5. यह सूच्य है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 में प्राविधानित है कि:–

............21. Restrictions on use of certain industrial plant.—
(3) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant..........

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

Saurabh 01.05.24   01.05.24   01/5/24

(सौरभ हैरिस)	(विकास यादव)	(आशुतोष पाण्डेय)
जे0आर0एफ0	जे0आर0एफ0	सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय,

01/05/2024

4

-21-

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर नगर

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR NAGAR

संदर्भ 112/मै० सनसाइन रबर 8950/24 दिनांक 02-05-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित उद्योग का औचक निरीक्षण दिनाँक 26.04.2024 को किया गया। औचक निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक संख्या 60217/UPPCB/KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 24.09.2019 द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers-13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि हेतु सहमति वायु निर्गत थी तथा वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) आदेश प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है और न ही उद्योग द्वारा अद्यतन तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है, जोकि एक दण्डनीय अपराध है।

अतः संलग्न निरीक्षण आख्या में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् टैनरी उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

5

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ - 479/5-250/24 दिनांक - 19-06-24

अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त उद्योग के औचक निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 के दौरान राज्य से सहमति (जल/वायु) आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग संचालित पाये जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 112/मै0 सनसाइन रबर इण्ड0/24, दिनांक 02.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अद्यतन तक उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी कोई सूचना क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त नहीं है, जिससे उद्योग के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भित उद्योग **मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने का कष्ट करें, जिससे उद्योग के संचालन को पूर्णतया निषेधित कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(इं0 आशुतोष पाण्डेय)
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता

6

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/Ref. No 20239/सी-2/वायु-1464/पर्या. क्षतिपूर्ति/24 दिनांक/Date 26-11-2024

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज,
68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

विषयः मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–55884/सी–2/वायु–1464/क0ब0नो0/22, दिनांक 08.12.2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस का तामीला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त कराया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 15.12.2020 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उक्त लेदर कटिंग को पूर्व में लेदर द्वारा बेबी ब्यायलर के निकट डाल दिया गया था, जिसको तत्काल हटा दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 को किया गया, निरीक्षण के समय में उत्पादनरत्/संचालित पाया गया। तथा दिनांक 26.04.2024 को उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही इकाई संचालनरत् पायी गयी थी एवं इकाई में स्थापित बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया था, जिससे आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अन्यन्त खराब पायी गयी। वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक15.12.2020 तक का उल्लघंन मानते हुये कुल 14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/– (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षेतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये 7812.50/– प्रतिदिन की दर से उल्लघंन मानते हुये (7812.50 ग 121)त्र9,45,312.50/– (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/– मात्र (रूपये 1,09,382.00 रूपये 9,45,312.50 त्र 10,54,694.50) पर्यावरणीय क्षेतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र E.C=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये रू0 7812.50/–प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 50, N (Number of days)=01, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग पर कुल उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रू0 7812.50/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 10,54,694/–(रू0 दस लाख चौवन हजार छः सौ चौरानबे पैसे पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर रू0 10,54,694.50/–(रू0 दस लाख चौवन हजार छः सौ चौरानबे पैसे पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

..2..

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com E.C. Draft letter

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Application No : 27543690

FORM 1
CONSOLIDATED CONSENT & AUTHORIZATION

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution)Act ,1974 and for emissions/continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste under Hazardous and other waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 read with Environment (Protection) Act 1986.

From ,

SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES, 68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR,KANPUR NAGAR,208010
City:KANPUR
Block:Kanpur
District:KANPUR NAGAR

Dated
01/08/2024

To ,
The Member Secretary,
U. P. Pollution Control Board,
Lucknow.

Sir,

I/We apply for Consolidated Consent to Operate and Authorization under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 noted under Environment (Protection) Act 1986 to make discharge/emission/disposal of hazardous and other waste from

AIJAZ AHMAD for a period upto 5 years

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made
5. I /We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consent period
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.

Accompaniments:-

1. AIR CONCENT (Attached)
2. Balance sheet Or CA Certificate (Attached)
3. Statement showing measures taken for increasing tree and forest cover (Attached)
4. SITE PLAN (Attached)
5. LOCATION PLAN (Attached)
6. GST PAPER (Attached)

Yours faithfully,

Signature

Name of the applicant: AIJAZ AHMAD

Address of the Applicant: 68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR

ANNEXURE TO FORM

New Outlet

NOTE- Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concerned with any of the item shall state 'No concerned' against the relevant one:

7.	Is the industry/factory for which application is made closed on Sunday/Holiday	Yes
8.	State working days per year and working season for the industry/factory	Jan to Dec
9.	a) Number of workers attending the factory shift wise &/ or per day :	5
	b) Number of workers residing in the premises :	1

10. For local bodies only:-
a) Present population : NA
b) Population covered under regular sewer facilities : NA
c) population having septic tank/Soak pit facilities : NA
d) Population covered by conservancy latrines : NA

11. For Industries Only:-

A. Give the list of raw materials

Raw Material Name	Material Trade Name	Qty	Principle Use
MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS	MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS	525	MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS

Fuel Details:-

Fuel	Consumption
Diesel	00

B. Give the list Products and By Product Details

Product Name	Quantity
MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS	13.125

ByProduct Name	Licence Qty	Installed Qty
MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS	525	525

C. Give the list of possible Inter-mediate Products:

Name of Product	Quantity per month

Section A

12. State daily quantity of water utilized :

Source Consumption	Quantity
Industrial	0.0
Domestic	0.0

13. A) State the hourly maximum and daily quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made:

Generation	Waste Water Generation Quantity
Industrial	0.0
Domestic	0.5

(B) State how measurement of rate and quantity are carried out: NA

14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial / Domestic Effluents? Yes

15. (a)Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluents? No

16. (a)Describe if any treatment industrial or domestic effluent or one for combined effluent is made. No

(b)Is the quantity of effluent emanating either without or after treatment approved by the authority? No

(c)If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)

(d)If any effluent from any shop/ shops toxic? If so volume of this effluent NA

17. Is there any provision for disposal ?

Name	Status (Already made)	Status (proposed to)
Industrial effluents over land for irrigation	Yes	No

18. State the area of land used for (a)Above in Hectares 0.100

19. Give the quantitative disposal of effluent in liters provided for the places mentioned below

Name	Mode	Mixed
On lands for irrigation	Industrial	

20. Is there any provision for equalizing or made holding lagoons of tanks

Name	Mode
Industrial	0.0
Domestic	0.5

21. Is sufficient land available / can be made available? In case pumping effluent: on lands have to considered. No

22. (a)Give details of composition of Domestic / Industrial / Combined effluent in respect of the Following

Name of Effluent	Effluent before treatment	Effluent after treatment
Colour units	NA	NA

Note:-

1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory

2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameters.

(b)Is the effluent toxic	No
(c)State if the Industrial effluent is having	With odour
(d)Is there any hidden change of temperature exceeding 10*c at any time	No

23. (a)Are facilities available with the applicant for carrying out the following test of the waste waters

Name	Existing	Proposed
Physical	Yes	No

(b)If yes, give details of equipments

24. Has the land/premises, etc., for which the application is made open?	No
Highly polluting material :	NA
Toxic Organic Inorganic Microbilogical :	Mixing Tank

25. State details for solid waste

Type of Solid Waste	Composition	Quantity	Method of Collection	Method of Disposal
Hazardous Waste	00	00	No	Landfilling(Within Premises)

Section A

New

12. Fuel Consumption in Tonnes/day

Fuel Name	Daily Comsumption(T/day)	Unit	Calorific value	Ash contents	Sulphur contents	Others

13. Atmospheric Emission from each stack

Total no. of stacks:	
Material for construction of Stack:	
Stack Attached to:	
Height above ground level(in metres):	
Height above roof(in metres):	
Stack Top:	
Inner dimensions (in meters):	
Gas quantity-m^3/hr:	
Flue gas temperature 'C:	
Exit velocity of gas/sec:	

(a) Flue gas emission

Stack No.	Type of fuel	Quantity of fuel/hr	Type of firing	So2	Nox	CO/HC	Particulates	Others

(b) Process Emission

Quantity of gas (in Nm^3/hr)	So2	Co2	Analysis of vent hydrocarbons	Particulates in mg/Nm3	Other Specify

(c) Particulate analysis :

(d) Chemical Composition(if available) :

14. Give details of flue gas sampling arrangements : NA

15. Give details of laboratory facilities available for analysis of emission : NA

16. Is there sufficient space available for installing air pollution control equipment :

17. Details of Air Pollution :-

Stack Name	Equipment Name	State

18. State the total quantity of air handled by ventilation equipments,specify size and no.of equipments, installed or to be installed

Equipment Name	Equipment Size	No. of equipments	Status

19. Give the following details

(a) Total investment in the factory and the year of investment. : Investment:-YEAR
Year of Investment is :-1992

(b) The estimated expenditure for implementation of the scheme to control air pollution :NA

(c) Expenditure incurred to update progress achieved(physical) for air pollution control, if any, and the year/years of investment along with physical progress achieved. The firm should give details of action taken to date and the expenditure incurred and the time required for the scheme. : NA

(d) Annual operation and maintenance-cost of Air Pollution Control Plant, if any : NA

(e) Further action that is being taken up by the firm to control air pollution. : NA

20. Other relevent information, if any : NA

Signature

Name and Address of the applicant on behalf of : AIJAZ AHMAD,68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR

Name and Address of the Firm on behalf of which application is made : AIJAZ AHMAD,68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR

Explanatory Notes for filing in form and the Annexure .

The notes are given only for those items for which explanations is considered desirable .

Form-

1. Here mention the name of the owner of the land/premises, if other than the applicant industry or factory in continuation of legal business as per Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981. If the land/premises belongs to the factory/ industry, say self
2. Here mention the date up to which the consent is sought for.

Annexure to form-

'Existing 'means that which is operation at the time of applying for consent .

'New' that which has been modified due to change in quantity and/or quality of emission.

'Altered' means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge arrangement and/or point of discharge etc.

Item 1 : Here mention name of the owner of the land/premises if other than the applicant industry or factory in continuation of of legal busines as per Air (Prevention and Control of Polution) Act ,1981 if land/premises belong to the factory/industry say self .

Item 1(a) : The industrtes are categorised based on the investment as follows : Major industry- having investment of more than 2 crores. Medium industry- having investment of 10 lakhs to 2 crores.Small scale industry having investment of less than 10 lakhs rupees

In place of above criteria kindly give category as per latest notification

Item 2 : Here give the registered name of the industry/institution factory/local bodies etc under which the business is carried out.

Item 6 : Applicable to only those are as which are prohibited areas such astheOrdinance Factories, Mint, etc.

Item 10(c) :Here State the temperature in C in summer winter monsoon and post monsoon seas on.

Item 10(d) : Here state the seasonal average wind direction and speed in and around the site of the plant. The above information can be had from representative Meterological centre .

Item 13 : Analysis of the flue gas emission, process emission and particulars analysis should be done for each stack, emissions. Where ever stacks are not provided the shop floor specific concentration should be reported . Chemical Analysis of particulars matter in the emission should be furnished giving details such as organic matter ,metals ,non-metals , redioactive, substances, asbastos, silicates etc.

Item 17 : Here mention the detailed specifications of control system used or proposed to be used with efficiency . Also furnish ihe layout of the control system with dimensions.

Item 18 : Here state the total quantity of ventilation air handled by equipments' such as roof extractors, Evaporative coolers etc

Additional Documents suggested for submission:

1 : Separate Demand Draft towards consent fee Water & Air .

2 : Annual Report or certificate from Chartered Accountants in support of fixed assets,current assets and current liabilities .

3 : Layout plan showing the location of stacks (chimneys), effluent treatment plant, effluent disposal areas,

air pollution control devices, hazardous waste treatment and disposal areast .

4 : Manufacturing process flow sheet, with description note on the manufacturing process for each product .

5 : Copies of latest consenVauthorisation/Environmental Impact Assessment Clearance .

6 : Copies of SSI registration Letter of IntenV industrial licenses, clearances from the Department or any other relevant document (ifapplicable) .

7 : Copies of planning permission certificate issued by the local bodies/District Town & Country Planning/Metropolitan Development Authorities .

8 : Compliance report on the latest CTE /CTO conditions stipulated under Water & Air Acts issued to the Unit .

Common General Information required for consent to operate under Water Pollution Prevention & Control) Act, 1974 and Air Water Pollution (Prevention & Control)Act, 1981.

1.	(a) Full name of the applicant with address	:	AIJAZ AHMAD,68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR (Tel. No.) -
	(b) Is the firm registered?	:	YES
	(c) If yes, give the number & date of registration and authority with whom registered.	:	,
	(d) Full Address of the registered office	:	
	(e) Names, designation and full address of persons like Partners, Managing Director/Manager etc.	:	AIJAZ AHMAD PARTNER 68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR KANPUR NAGAR 8318931684
	(f) Under which category does the industry fall: Large/Medium/Small Scale.	:	small
2.	Full name of the Land/Premises/Institute/Factory/Industry/Local body with address	:	SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES Address:68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR,KANPUR NAGAR,208010 Tel. No.:-8318931684 E-mail :
3.	Give revenue /City Survey No. of the land/premises for which the application is made:	:	District:KANPUR NAGAR Town/Village:KANPUR City Survey no./Revenue Survey no.:68 A Khata No.:0000 Area in Hectares:0.100
4.	State month and year in which the plant was actually put into commissions or is proposed to be put into commission:	:	April,1992
5.	State the Civil/Military /Defence/industrial Estate etc. under whose administrative jurisdiction the occupiers/industrial plant is situated:	:	Civil District:KANPUR NAGAR Corporation: Village Panchayat Contonment: Defence Deptt: State Govt: Prohibited areas: Others:
6.	(a) State whether plant site has been declared as prohibited area:	:	NO
	(b) If yes, state the name of the Authority and furnish a certified copy of the order under which the area has been declared as prohibited area	:	-

उद्योग मैसर्स सनसाइन रबड़ इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के सहमति (जल/वायु) आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। तत्क्रम में इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 07.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री ऐजाज अहमद, पार्टनर उपस्थित थे, आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त इकाई **प्लाट नं0–68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** में स्थापित/संचालित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार इकाई को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्र संख्या 60217/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 24.04.2019 द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत थी, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 31.03.2023 तक थी।
3. इकाई द्वारा MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS-13.125 Kg/Day का उत्पादन ड्राई प्रोसेस द्वारा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है।
4. निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादन प्रक्रिया से जनित होने वाली रबड़ कटिंग का समुचित निस्तारण किया जाता नहीं पाया गया तथा समुचित निस्तारण के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये।
6. निरीक्षण के समय इकाई परिसर हाउस कीपिंग की व्यवस्था अत्यन्त खराब पायी गयी।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार इस कार्यालय के औचक निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 को इकाई द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ही संचालित पाये जाने के दृष्टिगत् क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 112/मै0 सनसाइन रबर इण्ड0/24, दिनांक 07.05.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत की संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 479/एस–250/24, दिनांक 19.06.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग **मैसर्स सनसाइन रबड़ इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** के ऑनलाइन सी0सी0ए0 आवेदन सहमति (जल/वायु) को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

07.08.24
(विकास यादव)
जे0आर0एफ0

07-8-24
(आशुतोष पाण्डेय)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

07/08/2024

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Category : GREEN
Ref No. - 217888/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPUR NAGAR/2024

Application Id : 27543690
Dated : 08/08/2024

To ,

M/S AIJAZ AHMAD
SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES
68 A 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR,KANPUR NAGAR,208010
KANPUR NAGAR

Sub : **Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.**

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 01/08/2024 and received on 01/08/2024under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 08/08/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

As per inspection report dated 07.08.2024, the recommendation has been send to HO for issuing show cause notice against the unit for compliance of AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 under section 21. A reminder letter has been also send to the HO vide letter No. 479/S-250/24 dated 19.06.2024. On the basis of above fact application is hereby rejected.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

AMIT MISHRA
Digitally signed by AMIT MISHRA
Date: 2024.08.08 13:36:29 +05'30'

12

This order is issued with the approval of competent authority.

(Authorized Signatory)

Amit Mishra
Regional Officer

Copy To -

Chief Environment Officer-2, U.P. Pollution Control Board, TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

AMIT MISHRA
Digitally signed by AMIT MISHRA
Date: 2024.08.08 13:36:39 +05'30'

Amit Mishra
Regional Officer
(Authorized Signatory)

13

Recd by Post 16/8/24

-27-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H/15660/सी-2/वायु-1464/24

दिनांक / Date 13-8-24

पंजीकृत

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।

विषयः मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 479/सा0-250/24 दिनांक 19.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त उद्योग के औचक निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 के दौरान राज्य से सहमति (जल/वायु) आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग संचालित पाये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 02.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अद्यतन सूचना अप्राप्त है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक **08.12.2020** जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या एक सप्ताह के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(signature)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-2)

EE
16/08/24

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

14

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES
Manufacturers & Exporter of : All Kind of Micro Rubber Sheet & Sleepers
68, 69-A, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur - 208 010
Tel.: +91-512-2464467 - Fax : +91-512-2464468
e-mail : sunshinerubber23@rediffmail.com

EU5082334867N
23/10/24

8657

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण

कृते जिलाधिकारी
कानपुर नगर
23/10/24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5243,सद्भावना नगर,
आवास विकास फेज–3,
कल्याणपुर,कानपुर–208017

संदर्भ :पत्र सं0. 1058/सा0–26/2024 दिनांक 07/10/2024 के सम्बन्ध में।

विषयः– राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) परियोजना के तहत सम्भावित वायु प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिये आगामी शीतकालीन ऋतु–2024 में कानपुर शहर में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन नियमित करने एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संबंध में आप श्रीमान जी को अवगत कराना है कि मेरे उद्योग M/S SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES,150 FT. ROAD ,JAJMAU,KANPUR के परिसर में मात्र ड्राइवर्क का कार्य किया जाता है, तथा मेरे उद्योग परिसर में जो भी हाल अथवा रूम बने हुए है,उन सभी में हवादार,दरवाजे तथा खिड़कियाँ जगह जगह लगी हुई है, जिसका फोटो संलग्न कर प्रेषित है। जिससे उद्योग परिसर में वायु प्रदूषणकारी श्रोतों का उत्पन्न होना संभव नहीं है,इस पर उद्योग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है,उद्योग परिसर में एक छोटा सा बॉयलर लगा है,जिसकी चिमने की ऊंचाई भी 55 फीट रखी गई है,तथा बॉयलर में भी मात्र कोयले का प्रयोग किया जाता है,जिसकी जानकारी आप श्रीमान जी को इस पत्र द्वारा दिया जा रहा है ।

EE
25/10/24

S-250

15

आप श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे उद्योग M/S SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES,150 FT. ROAD ,JAJMAU,KANPUR के नाम जारी पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

महान दया होगी
सधन्यबाद

भवदीय

M/S SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES
150 FT. ROAD,
JAJMAU, KANPUR

For Sunshine Rubber Industries
Partner

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जिला अधिकारी, महोदय,
   कोर्ट कम्पाउन्ड,
   सिविल लाइन्स,
   कानपुर नगर ,कानपुर–208001
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
   उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
   टी0सी0 12–वी, विभूति खण्ड,
   गोमती नगर, लखनऊ–226010

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर नगर
REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR NAGAR

संदर्भ 1041/एस-250/24 दिनांक 04/10/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि सहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित/बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–15660/सी–2/वायु–1464/24, दिनांक 13.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस पत्र संख्या एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 के समय उद्योग में उत्पादनरत्/संचालित पाया गया। विस्तृत आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः संलग्न आख्या में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल **14 दिवसों** हेतु **रूपये 1,09,382/–** (एक **लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र**) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये **7812.50/–** प्रतिदिन की दर से उल्लंघन मानते हुए (7812.50×121)=9,45,312.50/– (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/– मात्र (रूपये 1,09,382.00 + रूपये 9,45,312.50= **10,54,694.50/–**) की संस्तुति एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक :–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

17

<u>मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में आख्या</u> :—

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:—

➢ <u>कार्यालय अभिलेखानुसार निम्नांकित तथ्य क्रमशः हैं</u> :—

अ). इकाई के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच—55884/सी—2/वायु—1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस निर्गत है। उक्त कारण बताओ नोटिस का तामीला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त करायी गयी है, तामीला प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न है।

ब). इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के अनुक्रम में दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल <u>**14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/— (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)**</u> की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या तत्समय प्रेषित की गयी थी।

स). दिनांक 26.04.2024 को उप—कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही इकाई संचालनरत् पायी गयी थी तथा इकाई में स्थापित बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया था, जिससे आस—पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अन्यन्त खराब पायी गयी। जबकि उद्योग को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक संख्या 60217/UPPCB/ KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 24.09.2019 द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers-13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि हेतु सहमति वायु निर्गत थी।

उपर्युक्त तथ्यों के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 112/मैसर्स सनसाइन रबर इण्ड0/24, दिनांक 02.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी।

द). बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच—15660/सी—2/वायु—1464/24, दिनांक 13.08.2024 द्वारा उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या चाही गयी है, के तत्क्रम में दिनांक 03.10.2024 को निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादनरत्/संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री ऐजाज अहमद, पार्टनर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स क्रमशः है :—

➢ वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आंकलन क्रमशः है :—

18

कृ0पृ0उ0..........

(गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 7812.50/— प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (pollution index)=50, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, small)=0.5, LF (Location Factor)= 1.25 for population between 1 to 5 million.)

संस्तुति :–

क). यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल **14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/— (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये 7812.50/— प्रतिदिन की दर से उल्लंघन मानते हुए (7812.50×121)=9,45,312.50/– (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/— मात्र (रूपये 1,09,382.00 + रूपये 9,45,312.50= **10,54,694.50/—**) की संस्तुति एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

04.10.24 04/10/24

(विकास यादव) (आशुतोष पाण्डेय)
जे0आर0एफ0 पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय ~~अधिकारी/मुख्य~~ पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय,

04/10/2024

SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES
Manufacturers & Exporter of : All Kind of Micro Rubber Sheet & Sleepers
68, 69-A, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur - 208 010
Tel.: +91-512-2464467 - Fax : +91-512-2464468
e-mail : sunshinerubber23@rediffmail.com

Recd 12/12/24

20

Dated - 11-12-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
टी0सी0 12–वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषय : मैसर्स सनशाइन रबर इंडस्ट्रीज,जाजमऊ,कानपुर के पर्यावरण क्षतिपूरती अधिरोपित किए जाने के संबंध में

महोदय,

आप श्री मान जी को अवगत कराना है कि मेरे उद्योग मैसर्स सनशाइन रबर इंडस्ट्रीज,68–A,150 Ft रोड ,जाजमऊ,कानपुर के नाम आपके कार्यालय द्वारा पत्र संख्या H–20139 / सी–2/वायु–1464/ पर्या0 क्षतिपूरती /24 दिनांक –26/11/2024 के द्वारा पर्यावरण क्षतिपूरती किए गए है जो न्यायसंगत नहीं है ।

इस संबंध में आप श्री मान जी को अवगत कराना है कि आप श्रीमान जी के पत्र द्वारा दर्शाया गया है कि राज्य बोर्ड के पत्रांक H 55884/सी 2/वायु –1464/का० ब० नो० /2022 दिनांक 08/12/2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम ,1981 यथाशाशाधित की धारा 31–ए के अतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था,उक्त कारण बताओ नोटिस का तमिला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17/12/2020 को प्राप्त कराया गया है, उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 15/12/2020 को प्राप्त हुआ है , के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईंधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है,उक्त लेदर कटिंग को पूर्व में लेबर द्वारा बेबी बॉयलर के निकट डाल दिया गया था,जिसको तत्काल हटा दिया गया था ,इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर,के पत्र दिनांक 04/10/2024

EE
12/12/24
S-250

द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनांक **03/10/2024** को किया गया ,निरीक्षण के समय उत्पादनरत /संचालित पाया गया ,तथा दिनांक **26/04/2024** को उप–कार्यालय जाजमऊ के प्राधिकरत अधिकारियों के द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र किए ही इकाई संचालनरत पाई गई थी दर्शाते हुए मेरे उद्योग पर **1054694.50** /– पर्यावरण क्षतिपूरती अधिरोपित किया गया है ।

इस संबंध में आप श्री जी के संग्यान में लाना है कि मेरे उद्योग **मेसर्स सनशाइन रबर इंडस्ट्रीज,68–A,150 Ft रोड ,जाजमऊ,कानपुर** के परिसर में कभी भी लेदर कटिंग अथवा रबर कटिंग ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता है,आपके कार्यालय के पूर्व पत्र में भी दर्शाया गया है कि बॉयलर के समक्ष लेदर कटिंग /रबर कटिंग बिखरा पाया गया है,ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही प्रयोग होते हुए पाया गया है,इसके पूर्व में जल/वायु सहमति **31/12/2023** तक उद्योग को प्राप्त था ,अवधि समाप्त होने पश्चात दिनांक **01/8/2024** को सहमति आवेदन किया गया था परंतु कारण बताओ नोटिस को दर्शाते हुए सहमति आवेदन निरस्त कर दिया था ।

अतः आप श्री मान जी से अनुरोध है कि मेरे उद्योग **मेसर्स सनशाइन रबर इंडस्ट्रीज,68–A,150 Ft रोड ,जाजमऊ,कानपुर** के नाम पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए गए को उद्योग द्वारा भुगतान करना असंभव है, कृपया इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

महान दया होगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

[signature]

मेसर्स सनशाइन रबर इंडस्ट्रीज
68–A,150 Ft. रोड
जाजमऊ, कानपुर

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जिला अधिकारी महोदय,
   कोर्ट कम्पाउन्ड,
   सिविल लाइन्स,
   कानपुर नगर ,कानपुर
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   कल्यानपुर,कानपुर

तार : पर्यावरण
Gram : Paryavaran

दूरभाष
Phone : 218863

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
सी-२५, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८ ००५
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE :
C-25, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208 005

संदर्भ सं०
Ref. No. 98/S-446/91

दिनांक
Date 3-1 1991

To

M/s Sun Shine Rubber Industries,
68-A, 150 Ft. Road, Jajmau,
Kanpur.

SUB: N.O.C. FROM POLLUTION ANGLE.

Dear Sir,

Kindly refer your N.O.C. application and subsequent correspondence with this office for the above proposed industry. The N.O.C. (NO OBJECTION CERTIFICATE) Solely from pollution aspects is hereby issued to you to manufacture Micro Rubber sheets - 150 nos./day at plot no. 68 A, 150 ft. Road, Jajmau, Kanpur, Subject to strict compliance of following conditions

1- The general conditions (attached as annexure - 1) as applicable to your industry shall also be observed.

2- The daily production capacity shall not exceed Micro Rubber sheets- 150 nos./day.

3- No industrial effluent shall be generated or discharged out of your industrial premises.

4- Minimum chimney height attached with the baby boiler shall be 15 meters from the ground level. The daily fuel consumption for combustion shall not exceed coal 100 kg.

5- Within the acquired site the industry must locate itself at the lowest location to remain obscured from general sight. Layout and form of the industry that may come up in the area must conform to the land scape of the area without affecting the beauty ~~to~~ of that palce.

6- The site of the industry shall be located in the approved industrial area.

7- Maximum tree plantation shall be done in open places of factory premises.

8- Proper parking places should be provided for the trucks and other vehicles by the industries to avoid an congestion or blocking of roads.

Yours faithfully,

(S. L. GOEL)
REGIONAL OFFICER.

Endt. no. /

Dated as above.

Copy to : Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

UMA/

REGIONAL OFFICER.

22

Appeal No. 01/2025: M/S Sunshine Rubber Industries Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: mansichahal104@gmail.com

Date: Tuesday, April 29, 2025 at 08:47 AM GMT+5:30

Madam,

Please find the attached copy of the original file in compliance of order dated 02.04.2025.

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Sunshine Rubber Industries Original Record.pdf
2.7MB